सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 16/2018

1. शीतल प्रकाश पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
2. हरिओम पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री मोतीलाल जाति धाकड निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

**वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री दयाकृष्ण धाकड
दायरा दिनांकः 08.03.2018

निर्णय दिनांक : 05.09.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति हाल खाता संख्या 28 खसरा नं0 623 रकबा 1.48 है0, खसरा नं0 682 रकबा 2.43 है0, खसरा नं0 1519 रकबा 2.61 है0 में से रकबा 0.87 है0 कुल किता 3 रकबा 4.78 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील जिला बारां दर्ज रेकार्ड है। जो वादीगण के पिता प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का जन्म से हित निहित है। प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी काश्त करने हेतु संभला रखी है जिसे वादीगण कई वर्षो से काश्त करते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्से पर पैतृक हक अधिकार है जिसे वादीगण गत कई वर्षो से काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजी को प्रतिवादी कम 1 बेचान करने पर आमादा है जिन्होने उक्त आराजी बेचान करने संबंधी बात भी कर ली है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी कम 1 को समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रतिवादी कम 1 उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है। अतः

अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी पारित की जावें कि खाता संख्या 28 खसरा नं0 623 रकबा 1.48 है0, खसरा नं0 682 रकबा 2.43 है0, खसरा नं0 1519 रकबा 2.61 है0 में से रकबा 0.87 है0 कुल किता 3 रकबा 4.78 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील जिला बारां में हिस्सा 1/3 का प्रत्येक वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी कम 3 को आदेश दिया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 08.03.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पारेता ने दिनांक 05.09.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। वादीगण व प्रतिवादी कम 1 द्वारा दिनांक 05.09.2018 को सजने आन में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया राजीनामा अनुसार वादी नं0 1 शीतल प्रकाश पुत्र श्री कन्हैयालाल को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 682 रकबा 2.43 है0 आराजी प्राप्त हुई है जिस पर वादी कम 1 को खातेदार घोषित किया जावें। वादी कम 2 हरिओम पुत्र कन्हैयालाल को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 623 रकबा 1.48 है0 आराजी प्राप्त हुयी जिस पर वादी कम 2 को खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी कम 1 कन्हैयालाल पुत्र श्री मोतीलाल को ग्राम रायथल की खसरा नं0 1519 रकबा 2.61 है0 में से 0.87 है0 प्राप्त हुई है क्याकि पूर्व मे से 1.74 है0 आराजी पूर्व में बैचान हो चुकी है, इसलिए खसरा नं0 1519 रकबा 2.61 है0 में शेष रकबा 0.87 है0 पर खातेदार घोषित किया जावें।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.09.2018 को वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अतः सुनी गयी बहस तथा वादीगण व प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायथल की हाल खाता संख्या 28 खसरा नं0 623 रकबा 1.48 है0, खसरा नं0 682 रकबा 2.43 है0, खसरा नं0 1519 रकबा 2.61 है0 में से रकबा 0.87 है0 कुल किता 3 रकबा 4.78 है0 में वादीगण कम 1 व 2 तथा प्रतिवादी कम 1 को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है:–

01. वादी नं0 1 शीतल प्रकाश पुत्र श्री कन्हैयालाल को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 682 रकबा 2.43 है0 आराजी का खातेदार कृषक।
02. वादी कम 2 हरिओम पुत्र कन्हैयालाल को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 623 रकबा 1.48 है0 आराजी का खातेदार कृषक।
03. प्रतिवादी कम 1 कन्हैयालाल पुत्र श्री मोतीलाल को ग्राम रायथल की खसरा नं0 1519 रकबा 2.61 है0 में से 0.87 है0 आराजी का खातेदार कृषक।

तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त आराजी को वाद में आगे